

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17102026-277259
SG-DL-E-17102026-277259असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 15, 2026/आश्विन 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 252
No. 308]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 15, 2026/ASVINA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 252

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIकला, संस्कृति एवं भाषा विभाग
(पुरातत्व विभाग)
अधिसूचना
दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2026

फा. सं. पुरा0/2/2025-उप-निदेशक(पुरा0)-पुरातत्व विभाग/1025.—मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित दिनांक 29/06/2026 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3348 के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "पुरातत्व में शोध अध्येतावृत्ति" की योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान करते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

- इस योजना को "पुरातत्व में शोध अध्येतावृत्ति" कहा जाएगा।
- यह योजना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. योजना का कार्यक्षेत्र :

- i. पुरातत्व विभाग ने दिल्ली को सांस्कृतिक और विरासत की राजधानी एवं विरासत प्रेमियों के लिए एक जीवंत केंद्र में परिवर्तित करने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक यात्रा शुरू की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार समाज के निर्माण में विरासत के महत्व को समझती है और इसे समाज की सीमाओं से निकालकर आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती है। सर्वोत्कृष्ट प्रयासों के बावजूद, विभाग में मानव संसाधनों की कमी बनी रहती है, जिससे शोध, निरंतर चिंतन, योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन, प्रलेखन और सामुदायिक सहभागिता के लिए टीम की क्षमता सीमित हो जाती है। इस अंतर को पाटने के लिए,
- ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने पुरातत्व एवं संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए एक अनुसंधान शोध अध्येतावृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। इस अध्येतावृत्ति का उद्देश्य पुरातत्व, संरक्षण और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में शोध को समर्थन देना है, जिसका एकमात्र लक्ष्य दिल्ली की ऐतिहासिक राजधानी की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है।

3. लक्ष्य एवं उद्देश्य:

- i. इस अध्येतावृत्ति में पुरातत्व और दिल्ली के कम ज्ञात स्मारकों के संरक्षण के क्षेत्र में शोध एवं विकास जैसी कई गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसका उद्देश्य इन स्मारकों से जुड़े ऐतिहासिक पहलुओं का पता लगाना, उन पर शोध करना और उनका दस्तावेजीकरण करना आदि है। यह प्रोत्साहित किया जाता है कि अध्येता राजधानी शहर दिल्ली के इतिहास को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पुरातत्व के उस क्षेत्र में शोध करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अभी तक शोधाधीन है। हालांकि, इसमें वे परियोजनाएं या गतिविधियाँ शामिल नहीं होंगी जो पहले से ही हो चुकी हैं और पुरातत्व के क्षेत्र में कोई योगदान नहीं देती हैं या उससे आगे कोई लाभ नहीं होता है।
- ii. प्रस्तावित अध्येतावृत्ति का उद्देश्य दिल्ली के प्रतिभाशाली युवा पुरुषों और महिलाओं को आकर्षित करना है, ताकि वे दिल्ली पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर काम कर सकें। इस अध्येतावृत्ति की अवधि एक वर्ष होगी, जिसे अधिकतम एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह अध्येतावृत्ति पुरातत्व विभाग का एक सतत कार्यक्रम होगा (उम्मीदवार अध्येतावृत्ति के लिए केवल एक बार ही इसके लिए आवेदन कर सकता है)।
- iii. विभाग दिल्ली के उन युवा और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है जो समाज से संबंधित अभिलेखीय विरासत के उद्देश्य के प्रति उत्साही और समर्पित हैं। एक ओर विभाग का उद्देश्य विरासत के क्षेत्र में युवा नेतृत्वकर्ताओं की विविध प्रतिभाओं का लाभ उठाना है, वहीं दूसरी ओर उन्हें सरकार के कामकाज को समझने और राजधानी शहर दिल्ली में विरासत के विकास के लिए चल रहे प्रयासों में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करना है।

4. अध्येतावृत्ति की संख्या, पात्रता आयु और निर्धारित योग्यता:

इस योजना के अंतर्गत पुरातत्व और संरक्षण के क्षेत्र में क्रमशः 6 वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (एसआरएफ) और 6 कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) प्रदान की जाएंगी, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र० सं०.	शोध का कार्यक्षेत्र/क्षेत्र	अध्येतावृत्ति की संख्या		निर्धारित योग्यताएँ
		एसआरएफ	जेआरएफ	
1.	पुरातत्व	03	03	एसआरएफ-प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व/इतिहास में पीएचडी। वांछनीय: किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। जेआरएफ-प्राचीन/मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मास्टर डिग्री या पुरातत्व में मास्टर डिग्री।
2.	संरक्षण	03	03	एसआरएफ-संरक्षण, परिरक्षण या विरासत प्रबंधन में पीएचडी। वांछनीय: किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। जेआरएफ-संरक्षण, परिरक्षण और विरासत प्रबंधन में मास्टर डिग्री या संरक्षण में मास्टर डिग्री।
	कुल	06	06	

5. चयन के मानदंड:

- इस योजना का विज्ञापन समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा।
- आवेदन पत्रों की जांच, जांच समिति द्वारा की जाएगी।
- जांच-पड़ताल के बाद, योग्य उम्मीदवारों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा।
- साक्षात्कार के बाद उम्मीदवारों का चयन योग्यता और साक्षात्कार में उनके निष्पादन के आधार पर किया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम (ईमेल के माध्यम से) से सूचित किया जाएगा और उन्हें विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।
- अध्येता के निष्पादन की समीक्षा निगरानी समिति द्वारा की जाएगी, अध्येता को मूल्यांकन और अध्येतावृत्ति की आगे की मंजूरी के लिए हर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- चयन मानदंड नीचे विस्तार से दिए गए हैं:

क्रमांक	शोध का कार्यक्षेत्र/क्षेत्र	डिग्री/डिप्लोमा	अंकों का महत्व	
i)	पुरातत्व (एसआरएफ)	पीएच.डी.	पुरस्कार	25
		पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	50 से 59.99%	15
			60% और उससे अधिक	20

		प्रकाशन	पीयर-रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित 5 सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र (3x5)	15
		साक्षात्कार		25
		कुल		100
ii)	पुरातत्व (जेआरएफ)	स्नातकोत्तर	55 से 59.99%	15
			60% और उससे अधिक	20
		स्नातकोत्तर डिप्लोमा		25
		प्रकाशन	पीयर-रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित 5 सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र (3x5)	15
		साक्षात्कार		25
		कुल		100
iii)	संरक्षण (एसआरएफ)	पीएच.डी.	पुरस्कार	25
		संरक्षण में स्नातकोत्तर	55 से 59.99%	15
			60% और उससे अधिक	20
		प्रकाशन	पीयर-रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित 5 सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र (3x5)	15
		साक्षात्कार		25
		कुल		100
iv)	संरक्षण (जेआरएफ)	स्नातकोत्तर	55 से 59.99%	15
			60% और उससे अधिक	20
		स्नातकोत्तर डिप्लोमा		25
		प्रकाशन	पीयर-रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित 5 सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र (3x5)	15
		साक्षात्कार		25
		कुल		100

6. अध्येतावृत्ति राशि:

- I. एसआरएफ: 50,000 रुपये प्रति माह
- II. जेआरएफ: 25,000 रुपये प्रति माह

7. पात्रता शर्तें:

- I. यह अध्येतावृत्ति पुरातत्व एवं संरक्षण के क्षेत्र में दी जाएगी। विभाग द्वारा नई परियोजनाओं/कार्यक्रमों की शुरुआत के समय इन क्षेत्रों में बदलाव या विस्तार किया जा सकता है। अध्येताओं को आवश्यकतानुसार आकलन और निर्धारण के आधार पर इन सांकेतिक अध्ययन क्षेत्र विषय संकायों में बांटा जाएगा।
- II. इस अध्येतावृत्ति कार्यक्रम में 06 एसआरएफ और 06 जेआरएफ (क्रमशः पुरातत्व और संरक्षण) शामिल होंगे। प्रत्येक श्रेणी में अध्येताओं की संख्या को तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर प्रधान सचिव/सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) के अनुमोदन से बदला भी जा सकता है।
- III. पुरातत्व में एसआरएफ के लिए योग्यता प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व/इतिहास में पीएचडी होगी। वांछनीय योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और जेआरएफ के लिए प्राचीन/मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मास्टर डिग्री या पुरातत्व में मास्टर डिग्री।
- IV. संरक्षण में एसआरएफ के लिए योग्यता संरक्षण, परिरक्षण या विरासत प्रबंधन में पीएचडी होगी। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और जेआरएफ के लिए संरक्षण, परिरक्षण और विरासत प्रबंधन में मास्टर डिग्री या संरक्षण में मास्टर डिग्री।
- V. आवेदन (प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण) जमा करने की अंतिम तिथि को एसआरएफ एवं जेआरएफ दोनों के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक है।
- VI. इस अध्येतावृत्ति का कार्यकाल अधिकतम एक वर्ष होगी ताकि प्रतिभाशाली और अनुभवी पेशेवर डिजाइन से लेकर कार्यान्वयन तक में सार्थक योगदान दे सकें। प्रत्येक अध्येता को पुरातत्व विभाग को स्वयं द्वारा किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट मासिक आधार पर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। प्रत्येक 3 माह के अंत में निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। यदि अध्येता द्वारा किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो अध्येतावृत्ति रोक दी जा सकती है या समाप्त भी की जा सकती है। समिति की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उत्कृष्ट अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- VII. प्रत्येक एसआरएफ को 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) प्रति माह और प्रत्येक जेआरएफ को 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) प्रति माह के वजीफा का भुगतान किया जाएगा। वजीफे के रूप में प्राप्त इस प्रकार की राशि आयकर अधिनियम के अनुसार टीडीएस के अधीन होगी।

8. वांछित कौशल:

- I. उम्मीदवारों के पास उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल, उच्च स्तर की संवेदना, बारीकियों पर ध्यान देने की क्षमता और चुनौतीपूर्ण वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता होनी चाहिए।
- II. उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी या संबंधित क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार किसी विशिष्ट भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए।

- III. उम्मीदवारों को एमएस ऑफिस, एक्सेल और पावर प्वाइंट जैसे बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन टूल्स में निपुण होना चाहिए। उन्हें इंटरनेट के माध्यम से सर्च इंजनों पर ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा संप्रेषण करने और शोध करने में सक्षम होना चाहिए।
- IV. उम्मीदवारों को उद्देश्य की अखंडता, कठिन परिश्रम के प्रति प्रतिबद्धता लाने के लिए इच्छुक होना चाहिए और अपने काम के घंटों में लचीलापन होना चाहिए (क्योंकि आयोजन और कार्यक्रम प्रायः सप्ताहांत और अवकाश पर होते हैं) साथ ही संपूर्ण शहर में व्यापक यात्रा के साथ सहज होना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने स्वयं के या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके दिल्ली के भीतर व्यापक रूप से यात्रा करने और कई हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए इच्छुक होना चाहिए।

9. सामान्य नियम एवं शर्तें:

- I. अध्येतावृत्ति का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए माना जायेगा, जिसे निगरानी समिति की सिफारिश के बाद एक और अधिक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। उम्मीदवार अध्येतावृत्ति के लिए पुनः आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- II. एक व्यक्ति द्वारा किसी एक क्षेत्र में केवल एक ही आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन जमा करता है, तो वह विचारण हेतु पात्र नहीं होगा। अपूर्ण आवेदन प्रपत्रों को बिना समीक्षा के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- III. यदि शोध कार्य प्रकाशित होता है, तो पुरातत्व विभाग के पास उपर्युक्त प्रकाशित सामग्री पर कॉपीराइट होगा।
- IV. सरकार बिना कोई कारण बताए अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान किसी भी समय शोध अध्येता की सेवा समाप्त कर सकती है।
- V. शोध अध्येता भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुटी, चिकित्सा देखभाल तथा उपचार या सरकारी कर्मचारियों और नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को स्वीकार्य किसी भी अन्य लाभ तथा रियायतों के हकदार नहीं होगा।
- VI. शोध अध्येता, सरकारी रिहायशी आवास या उसके बदले में मकान किराया भत्ता (एचआरए) के लिए हकदार नहीं होगा।
- VII. इस चयन से इस विभाग या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी अन्य विभाग में वरिष्ठता या नियमित नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- VIII. शोध अध्येता, सक्षम प्राधिकारी, उप निदेशक (पुरातत्व), कार्यालय प्रमुख (पुरातत्व) और संबंधित प्रभारी द्वारा समय-समय पर स्वयं सौंपे गए सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- IX. शोध अध्येता का चयन विभाग के पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में होगा तथा वह अध्येतावृत्ति की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्यभार/अध्येतावृत्ति स्वीकार नहीं करेगा।
- X. शोध अध्येता को एक वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए शोध कार्य करना होगा। यदि कोई शोध अध्येता अपनी अध्येतावृत्ति छोड़ना चाहता है, तो उसे उस अवधि तक प्राप्त अध्येतावृत्ति राशि 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर सहित वापस करनी होगी।
- XI. यदि अध्येतावृत्ति प्राप्त करने की अवधि के दौरान, शोध अध्येता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है, तो अध्येतावृत्ति को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और शोध अध्येता को अध्येतावृत्ति राशि 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज सहित वापस करनी होगी।
- XII. शोध अध्येता का कार्य अध्येतावृत्ति योजना के मानदंडों और उद्देश्यों के आधार पर प्रत्येक तिमाही में मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा, विभाग समय-समय पर आंकलन भी निर्धारित कर सकता है।

- यदि प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो अध्येतावृत्ति स्थगित किया जा सकता है या उसे समाप्त भी किया जा सकता है।
- XIII. शोध अध्येता को पुरातत्व विभाग या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा समय-समय पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किए जाने पर कार्यशालाओं/सेमिनारों/संगोष्ठियों और कार्यक्रमों में उपस्थित रहना होगा।
- XIV. यदि अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षाओं के दौरान अध्येतावृत्ति निरस्त की जाती है, तो अध्येता इस अध्येतावृत्ति के लिए दोबारा आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि चयन समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित न किया जाए।
- XV. अध्येता को सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अधीन 8 आकस्मिक अवकाश, 2 प्रतिबंधित अवकाश तथा सामान्य राजपत्रित अवकाश प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- XVI. किए गए शोध की प्रगति रिपोर्ट सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने तथा निगरानी समिति के अनुमोदन पर भुगतान त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाएगा।
- XVII. किया गया शोध कार्य मौलिक होना चाहिए तथा यह केवल 10% तक ही साहित्यिक पाठ की कॉपी करने के अधीन होगा। यदि कोई भी अध्येता साहित्यिक पाठ की कॉपी करने के परीक्षण को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो निगरानी समिति के अनुमोदन से उसकी अध्येतावृत्ति तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।
- XVIII. उपर्युक्त में उल्लिखित मुद्दों के अलावा किसी अन्य मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
- XIX. यह अध्येतावृत्ति पूर्णकालिक नौकरी के रूप में प्रदान की जाती है और अध्येतावृत्तिकी अवधि के दौरान किसी अन्य कार्य की अनुमति नहीं है।
- XX. अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांजन के चयन में मानदंडों और नियमों के अनुसार वरीयता दी जाएगी।
- XXI. अध्येता को पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का समय-समय पर पालन करना होगा।
- XXII. शोध परियोजना रिपोर्ट पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी।
- XXIII. नियुक्ति की शर्तों से संबंधित कोई भी विवाद सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) द्वारा निपटाया जाएगा।
- XXIV. निगरानी समिति में शामिल विशेषज्ञ जो दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, अध्येता को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और अध्येतावृत्ति के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा निगरानी भी की जाएगी।

10. अध्येतावृत्ति के लिए आवेदन और आवश्यक दस्तावेज:

- I. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (केवल हार्ड कॉपी)।
- II. एक संक्षिप्त शोध प्रबंध की रूपरेखा (सिनाॅप्सिस) प्रस्तुत करें जिसमें शीर्षक, सारांश, संक्षिप्त साहित्य समीक्षा, शोध का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली शामिल हो, जिसका उद्देश्य दिल्ली के कम ज्ञात स्मारकों से जुड़े इतिहास के तत्वों का पता लगाना हो और यह भी बताना हो कि आवेदक यह शोध क्यों करना चाहता है।
- III. संक्षिप्त शोध प्रबंध की रूपरेखा (सिनाॅप्सिस) ए4 शीट के तीन पृष्ठों से अधिक नहीं होनी चाहिए और फ्रॉन्ट का आकार 12 होना चाहिए।

- IV. “डीडीओ, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार” के पक्ष में आरेखित 500/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट। हालांकि, अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांजन /महिला उम्मीदवार केवल 250/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा कर सकते हैं।
- V. अनुशंसा पत्र – वैयक्तिक, उम्मीदवार और उसके शोध क्षेत्र के समर्थन में अनुशंसा पत्र लिख सकते हैं। अनुशंसा पत्र में यह स्पष्ट होना चाहिए कि शोध से उम्मीदवार को किस प्रकार लाभ होगा और यह संबंधित क्षेत्र में कैसे योगदान दे सकता है। अधिकतम दो अनुशंसा पत्र स्वीकार्य हैं, जिनमें से प्रत्येक पत्र ए4 शीट में एक पृष्ठ से अधिक नहीं होना चाहिए।
- VI. शोध के प्रस्तावित विषय पर संक्षिप्त शोध प्रबंध की रूपरेखा (सिनाप्सिस) 1000 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा इसमें आवेदक द्वारा शोध करने का कारण और संबंधित क्षेत्र में उसके करियर पर इसके संभावित प्रभाव का उल्लेख होना चाहिए। यह केवल हिंदी या अंग्रेजी में लिखा जाए।
- VII. दिल्ली में निवास का प्रमाण (दिनांक 01.01.2022 या उससे पहले से)।
- VIII. पैन कार्ड की प्रति।
- IX. आधार कार्ड की प्रति।
- X. इस बात की वचनबद्धता प्रस्तुत करना होगा कि उम्मीदवार सरकारी सेवा में नहीं है और केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम आदि से किसी भी प्रकार का अनुदान/अध्येतावृत्ति /छात्रवृत्ति/वजीफा या कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है।
- XI. आवेदन पत्र और सभी सहायक दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए। बिना हस्ताक्षर वाले/अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और उन्हें जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

11. अध्येतावृत्ति जारी करने की प्रक्रिया:

- I. प्रत्येक अध्येता को स्वयं द्वारा किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट पुरातत्व विभाग को मासिक आधार पर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। निगरानी समिति द्वारा प्रत्येक तीन माह के अंत में निष्पादन समीक्षा की जाएगी। यदि अध्येता द्वारा किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो अध्येतावृत्ति स्थगित की जा सकती है या समाप्त भी की जा सकती है। हालांकि, कार्य पूर्ण होने के चरण पर, प्रत्येक अध्येता को शोध कार्य पूर्ण होने की नियत तिथि से पूर्व अपनी पूर्णता रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। अध्येता द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को स्वीकृति संबंधी निर्णय के लिए निगरानी समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसे वे पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।
- II. समिति की अनुशंसा और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अध्येतावृत्ति को उत्कृष्ट अध्येताओं के लिए बढ़ाया जा सकता है।

12. अपीलीय प्राधिकरण:

शिकायत की स्थिति में, आवेदक इस संबंध में शिकायत के निवारण के लिए सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार से अपील कर सकता है तथा सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

यह मंत्रिमंडल के सचिव के दिनांक 29.06.2026 के पत्र संख्या फा0 53/822/सा0 प्रशा0 वि0/समन्वय/2026/712-721 के द्वारा परिचालित मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3348 के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डॉ. के. महेश, आईएएस सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ART, CULTURE AND LANGUAGES**(Department of Archaeology)****NOTIFICATION**

Delhi, the 15th October, 2026

F. No. Archy/2/2025-DY.Dir(Archy)-Arch.Deptt./1025.—In pursuance of the Cabinet Decision No. 3348 dated 29.06.2026 approved by the council of Ministers, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to approve the implementation of scheme of “**Research Fellowship in Archaeology**”, in Department of Archaeology, GNCTD.

1. Short title and Commencement:

- i) The scheme will be called as “**Research Fellowship in Archaeology**”.
- ii) The scheme shall come into force from date of publication in the Official Gazette.

2. Scope of the Scheme:

- i) Department of Archaeology has embarked on a journey to realize the vision of transforming Delhi into cultural and heritage capital and a vibrant Centre for heritage lovers. The Government of NCT of Delhi understands the importance of heritage in shaping a society and strives towards taking the heritage from its confines to the general public. Despite best efforts, the department experiences an under supply of human resources which limits the bandwidth of the team for research, continuous thinking, prompt execution of the schemes, documentation and community engagement. In order to bridge this gap,
- ii) Department of Archaeology, GNCTD has instituted a Research Fellowship programme in the field of Archaeology & Conservation for research and development. Fellowship aims to support research in the field of Archaeology, Conservation and other various fields with the sole aim to preserve the cultural heritage of the historic capital city of Delhi.

3. Aims and Objectives:

- i) Fellowship includes range of activities like Research and Development in the field of Archaeology & Conservation of lesser known monuments of Delhi with a focus to explore the element of history associated with it, doing research on same & documenting it thereof, etc. It is to be encouraged that fellows focused on undertaking research in Archaeology field which is underdeveloped with special focus on the history of capital city of Delhi. It will however not include projects or activities that have already taken place, which do not involve or benefit any further in the field of Archaeology.

- ii) The proposed Fellowship aims to attract outstanding young men and women from Delhi, to work in tandem with Department of Delhi Archaeology. While the term of a fellowship would be one year, extendable by one more year maximum, the fellowship will be an on-going programme of Department of Archaeology (the candidate can only apply once for the fellowship).
- iii) The Department is determined to engage with young and brilliant minds of Delhi, which are passionate and dedicated towards the cause of archival heritage in its relation to the society. On one hand the Department's intent is to benefit from the diverse talent pool of young leaders in the field of heritage while giving an opportunity to them to understand the functioning of the Government and become a part in the on-going endeavours towards the growth of heritage in capital city of Delhi.

4. Number of Fellowships, eligible age and prescribed qualification:

The scheme shall provide for award of 06 Senior Research Fellowships (SRF) and 06 Junior Research Fellowships (JRF) in Archaeology and Conservation respectively detailed below:

SN	Field/Area of Research	No. of Fellowships		Prescribed Qualifications
		SRF	JRF	
1.	Archaeology	03	03	SRF-PHD in Ancient Indian History, Culture and Archaeology/History Desirable: Post Graduate Diploma in Archaeology from any recognized institute or university. JRF-Masters in Ancient/ Medieval Indian History Or Masters in Archaeology.
2.	Conservation	03	03	SRF-PHD in Conservation, Preservation or Heritage Management Desirable- Post Graduate Diploma in Conservation from any recognized institute or university. JRF-Master in Conservation, Preservation and Heritage Management Or Master in Conservation
	Total	06	06	

5. Criteria for Selection:

- The Scheme will be advertise through Newspaper, Social media handles and official website of Department of Archaeology, GNCTD.
- Applications will be Scrutinized through the Scrutiny Committee
- After the scrutiny eligible candidates will be interviewed by Selection Committee
- After the interview the candidates will be selected through merit and their performance in the interview
- The selected candidates will be informed through online mode only (via email) and will be given 15 days to join the department
- The performance review of the Fellows will be done by Monitoring Committee, the fellows will have to submit their report every three months for evaluation and further release of Fellowship.

vii) Selection criteria detailed below:

S.No	Field/Area of Research	Degree/ Diploma	Weightage of Marks	
i)	Archaeology (SRF)	Ph.d.	Awarded	25
		Post Graduate Diploma in Archaeology	50 to 59.99 %	15
			60% and above	20
		Publication	5 best papers published in Peer reviewed or UGC care listed Journal (3x5)	15
		Interview		25
		Total		100
ii)	Archaeology (JRF)	Post Graduate	55 to 59.99 %	15
			60% and above	20
		Post Graduate Diploma		25
		Publications	5 best papers published in Peer reviewed or UGC care listed Journal (3x5)	15
		Interview		25
		Total		100
iii)	Conservation (SRF)	Ph.d.	Awarded	25
		Post Graduate in Conservation	55 to 59.99 %	15
			60% and above	20
		Publication	5 best papers published in Peer reviewed or UGC care listed Journal (3x5)	15
		Interview		25
		Total		100
iv)	Conservation (JRF)	Post Graduate	55 to 59.99 %	15
			60% and above	20
		Post Graduate Diploma		25
		Publication	5 best papers published in Peer reviewed or UGC care listed Journal (3x5)	15
		Interview		25
		Total		100

6. Fellowship Amount:

i) SRF: Rs. 50,000/- per month

ii) JRF: Rs. 25,000/- per month

7. Eligibility Conditions:

- i) The fellowship will be given in the field of Archaeology and Conservation. The streams may be altered or expanded as and when the Department launches new projects/programmes. The fellows shall be distributed amongst these indicative streams as per need assessed and determined.
- ii) There would be 06 SRF and 06 JRF (Archaeology and Conservation respectively) in the fellowship programme. The number of fellows in each category may also be changed from time to time with the approval of Pr. Secretary/ Secretary (ACL) keeping in view of emergent requirements.
- iii) The qualification for SRF in Archaeology will be PHD in Ancient Indian History, Culture and Archaeology/History, **Desirable:** Post Graduate Diploma in Archaeology from any recognized institute or university and for JRF Masters in Ancient/ Medieval Indian History or Masters in Archaeology.
- iv) The qualification for SRF in Conservation will be PHD in Conservation, Preservation or Heritage Management, **Desirable:** Post Graduate Diploma in Conservation from any recognized Institute or University and for JRF Master in Conservation, Preservation and Heritage Management or Master in Conservation.
- v) The Upper age limit is up to 40 Years for both SRF & JRF as on the last date for submission of application (proof to be submitted).
- vi) The tenure of the Fellowship shall be of maximum one year duration to allow talented, experienced professionals to contribute meaningfully from design to execution. Each fellow will be required to submit the progress report of the work done by him/her on monthly basis to the Department of Archaeology. A performance review will be conducted at the end of every 3 month. If the progress report of the work done by the fellow is not found satisfactory the fellowship may be withheld or even terminated. Fellowship can be extended for one more year for outstanding fellows on the recommendation of Committee and with approval of Competent Authority.
- vii) A stipend of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand only) per month shall be paid to each SRF and Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand only) per month shall be paid to each JRF. The amount so received as stipend shall be subject to TDS as per Income Tax Act.

8. Desired Skill:

- i) Candidates should have excellent communicating skills, a high degree of empathy, an ability to pay attention to details and the ability to work effectively in challenging environments.

- ii) Candidates should have command in Hindi and English or Specific Language as per the requirement of the field.
- iii) Candidates must be proficient in basic word-processing, data-processing and presentation tools like MS Office, Excel and Power Point. They must be adept at communicating through online mediums and conduct research on the search engines through internet.
- iv) Candidates need to be willing to bring integrity of purpose, a commitment to hard work and must be flexible in their working hours (as events and programmes often take place over the weekends and on holidays) as well should be comfortable with extensive travelling across the city. Candidates must be willing to travel extensively within Delhi using their own or public transport and engage with multiple stakeholders

9. General Terms and Conditions:

- i) The Fellowship tenure will be considered for the period of One Year from the date of joining which is extendable for one more year after the recommendation of Monitoring Committee, the candidate will not be eligible to re-apply for the fellowship.
- ii) Only one application in any one field from one individual will be considered. In case a candidate submits more than one application, he/she will not be eligible for consideration. Incomplete application forms will be rejected without review.
- iii) In case research work is published, the Department of Archaeology will have copy right on the aforesaid published material.
- iv) The Government can terminate Research Fellow at any time during the period of Fellowship without assigning any reason.
- v) The Research Fellow shall not be entitled to any benefits of Provident Fund, Pension, Gratuity, Medical Attendance and treatment or any other benefits and concessions admissible to Government servants and appointment on regular basis.
- vi) The Research Fellow will not be entitled to Government residential accommodations or HRA in lieu of thereof.
- vii) The selection shall not confer any right to claim seniority or regular appointment in this Department or any other department of Government of National Capital Territory of Delhi.
- viii) The Research Fellow shall perform all duties assigned to him/her time to time by the Competent Authority, Deputy Director (Archaeology), Head of Office (Archaeology) and concerned In-Charge.
- ix) The selection of the Research Fellow shall be as a full-time employee of the Department and shall not accept any other assignment/fellowship during the period of Fellowship.
- x) The Research Fellow has to take the research for the complete period of One year. In case Research Fellow wants to discontinue, then he/ she has to refund the Fellowship amount received till that period with interest of 12% p.a.
- xi) If during course of receiving the Fellowship, any information submitted by Research Fellow is found incorrect, then Fellowship will be immediately terminated and Research Fellow has to

refund the Fellowship amount along with the interest penalty @12% p.a.

- xii) The work of the Research Fellow will be evaluated every quarter based on the criteria and objectives of the Fellowship Scheme. Apart from this, the Department may also set assessments from time to time. If the progress is not found satisfactory, the Fellowship may be withheld or even terminated.
- xiii) The Research Fellow have to be present for Workshops/Seminars/Symposia and events that will be conducted by Department of Archaeology OR any other Department of Government of NCT of Delhi, when directed to attend from time to time.
- xiv) In the event, the Fellowship is cancelled during half yearly performance reviews, the Fellow will not be eligible to re-apply for this Fellowship unless otherwise determined by the Selection Committee.
- xv) The Fellow will be entitled for 8 Casual Leaves, 2 Restricted Holidays and usual Gazetted Holidays subject to prior approval of the Competent Authority.
- xvi) Payment shall be released on quarterly basis upon the successful submission of the progress report of research undertaken and on the approval of the Monitoring Committee.
- xvii) Research work undertaken shall be original and subject to plagiarism text up to 10% only. If any fellow fails to pass the plagiarism test, his/her fellowship shall be terminated immediately with the approval of the Monitoring Committee.
- xviii) Decision of the Government of NCT of Delhi on any other issue not mentioned above shall be final.
- xix) Fellowship is awarded as full time job and no other work is allowed during the fellowship period.
- xx) Preference shall be given amongst the selections of OBC/SC/ST/EWS/PwD as per norms and rules.
- xxi) The fellow shall have to abide by the instructions as and when issued by the Department of Archaeology, GNCTD.
- xxii) The Research Project Report shall be the property of the Department of Archaeology, GNCTD.
- xxiii) Any dispute arises out of the term of engagement shall be addressed by the Secretary (ACL).
- xxiv) Experts in the Monitoring Committee who are retired professors of Delhi University or any other recognized institute will provide training and mentorship to the fellows and also monitored by them during the fellowship tenure.

10. Application for Fellowship and required documents:

- i) Application Form in prescribed format (Hard Copy Only).
- ii) A synopsis brief that should include title, summary, brief literature review, scope and methodology for research to explore the element of history associated with the lesser known monuments in Delhi and as to why the applicant wishes to undertake this research.
- iii) The brief should not exceed three A4 pages in font size 12.
- iv) A bank draft for Rs. 500/- drawn in favour of the "DDO, Department of Archaeology, GNCTD". However, OBC/SC/ST/EWS/PwD/Women candidates may submit bank draft for Rs. 250/-only.
- v) Letters of recommendation - Individuals can write letters in support of the candidate and his/her area of research. A recommendation letter should explain how the research will benefit the candidate and can

- contribute in the relevant field. Maximum two letters of recommendation is allowed, with each letter not exceeding one A4 Page.
- vi) Not more than 1000 words synopsis on the proposed topic of research and why the applicant is undertaking the research and how he/she expects it to impact his/her career in the relevant field. This may be written in Hindi or English only.
 - vii) Proof of residence in Delhi (since 01.01.2022 or before).
 - viii) Copy of PAN Card.
 - ix) Copy of Aadhar Card.
 - x) Undertaking that candidate is not in Government service and not receiving any grant/fellowship/scholarship/stipend or any other financial help from the Central Government/State Government/PSU/Corporation etc.
 - xi) Application form and all supporting documents must be duly signed by the candidate. Unsigned/incomplete application form will not be accepted and placed before the Scrutiny Committee.

11. Procedure for release of the Fellowship:

- i) Each fellow will be required to submit the progress report of the work done by him/her on monthly basis to the Department of Archaeology. A performance review will be conducted at the end of every three months by the Monitoring Committee. If the progress report of the work done by the fellow is not found satisfactory, the fellowship may be withheld or even terminated. However, at the stage of completion of work, each Fellow shall be required to submit its completion report before due date of completion of research work. Final Reports submitted by Fellows will be placed before the Monitoring Committee for decision as regards acceptance of same, which they will submit to the Department of Archaeology, GNCTD.
- ii) Fellowship can be extended to Outstanding Fellows on the recommendation of Committee and with approval of Competent Authority.

12. Appellate Authority:

In case of Grievances, the applicant may appeal to the Secretary, Art, Culture & language Department, Government of NCT of Delhi for redressal of grievance in this regard and the decision of the Secretary shall be final.

This issues in pursuance of Cabinet Decision No. 3348 circulated vide letter No. F53/822/GAD/CN/2026/712-721 dated: 29.06.2026 of the Secretary to the Cabinet.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

Dr. K. MAHESH, IAS, Secy. (Art, Culture & Languages)